भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1939

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण

1939. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ठेके प्रदान करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान यह ठेका प्रदान करने में भारी गिरावट आई है जो 12,000 किलोमीटर से घटकर 6,000 किलोमीटर रह गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने किसी परियोजना को मंजूरी देने और उसके चालू होने की तिथि के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 10,000 किमी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचएस) परियोजनाओं के सौंपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025-26 के दौरान एनएच परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सौंपे जाने के लिए लक्ष्य का विवरण संलग्न है।

(ख)और (ग)पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सौंपे गए का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष (एफवाय)	सौंपी गई लंबाई (किमी)
2022-23	**12,376**
2023-24	**8,581**
2024-25	**7,538**

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सौंपे जाने की गति धीमी हो गई है मुख्य रूप से (i) शुरू होने से पहले 90% मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आरओबी/आरयूबी के लिए वन और वन्यजीव मंजूरी और (ii) परियोजनाओं की सख्त जांच। इन उपायों का उद्देश्य पर्याप्त देरी के बिना सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

सरकार ने किसी परियोजना को मंजूरी देने और इसे शुरू करने की तिथि के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें "भूमि राशि" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना और तेज करना, वन और पर्यावरणीय मंजूरी की सुविधा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल में सुधार करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) के ड्राइंग (जीएडी) की सामान्य व्यवस्था के ऑनलाइन अनुमोदन को सक्षम बनाना और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं रूकावटों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल है।" सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरियों के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और संविदाकार की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जैसे कि सौंपे जाने के लिए तीन साल से अधिक की देरी/मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कई राज्य सरकारें परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं के मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह के माध्यम से और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए बढ़ाया जाता है।

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण" के संबंध में श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सौंपे जाने के लक्ष्य का ब्यौरा :-

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (किमी)
1	आंध्र प्रदेश	461
2	अरुणाचल प्रदेश	1000
3	असम	188
4	बिहार	569
5	छत्तीसगढ	71
6	दिल्ली	50
7	गोवा	38
8	गुजरात	500
9	हरियाणा	104
10	हिमाचल प्रदेश	121
11	जम्मू और कश्मीर	158
12	झारखंड	364
13	कर्नाटक	328
14	केरल	275
15	लद्दाख	11
16	मध्य प्रदेश	1484
17	महाराष्ट्र	698
18	मणिपुर	206
19	मेघालय	301
20	मिजोरम	14
21	नागालैंड	17
22	ओडिशा	321
23	पंजाब	216

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (किमी)
24	राजस्थान	351
25	सिक्किम	73
26	तमिलनाडु	398
27	तेलंगाना	640
28	त्रिपुरा	95
29	उत्तर प्रदेश	711
30	उत्तराखंड	183
31	पश्चिम बंगाल	54
	कुल	10000

*****